भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 554

उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025 (बुधवार)

1 श्रावण, 1947 (शक)

प्रश्न

असम में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन

554. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम और देश के व्यापक उत्तरी क्षेत्र में औद्योगिक विकास, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार इस क्षेत्र में विशेषकर डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यटन और कृषि जैसे क्षेत्रों में युवाओं की कौशल विकास संबंधी आवश्यकताओं पर किस प्रकार ध्यान दे रही है; और

(ग) क्या सतत स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए असम के चाय उद्योग, हथकरघा और अन्य स्वदेशी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई लक्षित सहायता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग) असम में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। असम में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमों की सूची **अनुबंध-II** में दी गई है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) की स्कीमों के तहत असम में औद्योगिक विकास, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय आवश्यक अवसंरचना सहायता सहित प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जो पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति उत्पन्न करने में सक्षम हो।

भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय

प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थाओं आदि के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस करना है। सरकार एमएसडीई की महत्वपूर्ण स्कीमों के तहत केंद्रित अन्तःक्षेपों के माध्यम से असम और वृहत्तर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में युवाओं की कौशल विकास संबंधी आवश्यकताओं को सक्रिय रूप से पूरा कर रही है। इन पहलों के तहत डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यटन, कृषि और हस्तशिल्प, जो क्षेत्र की आर्थिक क्षमता के अभिन्न अंग हैं, सहित प्रमुख क्षेत्रों में मांग पर आधारित कौशल को प्राथमिकता दी जाती है। माननीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री द्वारा 20 मई 2025 को मिजोरम में **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)** में प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने हेतु विशेष अन्तःक्षेप के लिए एक प्रायोगिक पहल शुरू की गई। इस प्रायोगिक पहल के तहत, एनएपीएस-2 के तहत प्रदान किए गए वजीफे के सरकारी हिस्से के अलावा, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पात्र प्रशिक्षुओं को प्रति प्रशिक्षु प्रति माह 1,500 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। असम सरकार ने असम कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 2017 से कृषि क्षेत्र में 14,139 युवाओं, पर्यटन क्षेत्र में 10,496 युवाओं और डिजिटल प्रौद्योगिकी में 47,553 युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया है।

असम सरकार की चाय पर्यटन अवसंरचना विकास स्कीम, जो असम पर्यटन विकास निगम (एटीडीसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, पर्यटन अवसंरचना के निर्माण के लिए चाय बागानों को 2 करोड़ रुपये की सीमा तक 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। यह स्कीम कौशल प्रशिक्षण और उन्नयन के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करती है।

इसके अलावा, वस्त्र मंत्रालय असम सहित देश भर में हथकरघा क्षेत्र के विकास और हथकरघा श्रमिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्चा माल आपूर्ति स्कीम का संचालन कर रहा है। वस्त्र मंत्रालय की समर्थ योजना के अंतर्गत असम सहित देश भर में बुनकर सेवा केंद्रों के माध्यम से बुनाई, रंगाई/छपाई और डिजाइनिंग आदि जैसे तकनीकी क्षेत्रों में हथकरघा श्रमिकों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अनुबंध-I

"असम में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन" विषय पर लोक सभा में 23 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 554 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(1) उत्तर-पूर्व औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007

i. उत्तर-पूर्व औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 पूर्ववर्ती उत्तर-पूर्व औद्योगिक नीति (एनईआईपी), 1997 का संशोधित संस्करण थी और इसे क्षेत्र के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1.4.2007 से 31.03.2017 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था।

ii. **एनईआईआईपीपी, 2007 के प्रारंभन से, निवेश/औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु सब्सिडी के रूप में औद्योगिक इकाइयों को 3824.68 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।**

(2) उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017:

उत्तर-पूर्व राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और रोज़गार एवं आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए, 12.04.2018 को उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास स्कीम (एनईआईडीएस), 2017 अधिसूचित की गई और (31.03.2017 को एनईआईआईपीपी, 2007 के बंद होने के बाद) 01.04.2017 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई। यह स्कीम विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को कवर करती है। इसने विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में एमएसएमई को प्रोत्साहन दिया।

स्कीम के तहत प्रदत्त विभिन्न लाभ इस प्रकार हैं:

1	ऋण तक पहुँच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी)	5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश का 30 प्रतिशत।
2	केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन (सीआईआई)	वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन प्रारंभ होने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए अनुसूचित बैंकों या केंद्रीय/राज्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत। प्रोत्साहन इस प्रकार सीमित होगा कि यह सुनिश्चित हो सके कि सब्सिडी वाली ब्याज दर ऋणदाता संस्थान की सीमांत लागत-आधारित ऋण दरों (एमसीएलआर) से कम न हो।
3	केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (सीसीआईआई)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की

		तिथि से 5 वर्षों के लिए भवन और संयंत्र एवं मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति।
4	आयकर (आईटी) प्रतिपूर्ति	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के वर्ष सहित प्रथम 5 वर्षों के लिए आयकर में केन्द्र के हिस्से की प्रतिपूर्ति।
5	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रतिपूर्ति	5 वर्षों के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी में केंद्र सरकार के हिस्से की सीमा तक प्रतिपूर्ति।
6	रोजगार प्रोत्साहन (ईआई)	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) में नियोक्ता के 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) अंशदान के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के अंशदान का अतिरिक्त 3.67 प्रतिशत हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
7	परिवहन प्रोत्साहन (टीआई)	• औद्योगिक इकाई के निकटतम रेलवे स्टेशन से क्रेता के ठिकाने के निकटतम रेलवे स्टेशन तक रेल द्वारा तैयार माल की आवाजाही के लिए रेलवे/रेलवे पीएसयू द्वारा वर्तमान में प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन सहित परिवहन लागत का 20 प्रतिशत। • औद्योगिक इकाई के ठिकाने के निकटतम बंदरगाह से क्रेता के ठिकाने के निकटतम बंदरगाह तक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से तैयार माल की आवाजाही के लिए परिवहन लागत का 20 प्रतिशत। • उत्पादन स्थल के निकटतम हवाई अड्डे से क्रेता के देश में उसके ठिकाने से किसी भी निकटतम

		हवाई अड्डे तक खराब हो सकने वाली वस्तुओं (आईएटीए द्वारा यथा परिभाषित) पर हवाई माल ढुलाई की लागत का 33 प्रतिशत।

- संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अध्यधीन सभी घटकों के अंतर्गत लाभ हेतु प्रति इकाई 200 करोड़ रुपये की कुल सीमा।
- 31.03.2022 (जो पंजीकरण समाप्ति तिथि है) तक, एनईआईडीएस, 2017 स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु पोर्टल पर 1211 आवेदन प्राप्त हुए।
- एनईआईडीएस, 2017 के अंतर्गत अधिकारप्राप्त समिति द्वारा 974 औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण किया गया है (इसमें सशर्त पंजीकरण भी शामिल है)।
- वित्त वर्ष 2025 तक, इस स्कीम के अंतर्गत **719** औद्योगिक यूनिटों को पहले ही लाभ मिल चुका है, जिनमें से 613 औद्योगिक यूनिट अकेले असम में हैं।

(3) उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण स्कीम (उन्नति), 2024

- **योजना की अवधि**: प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अधिसूचना की तिथि (09.03.2024) से 10 वर्ष की अवधि और अतिरिक्त 8 वर्षों के लिए प्रभावी।
- **बजट**: कुल परिव्यय - 10,037 करोड़ रुपये।
- भाग क - प्रोत्साहन (9737 करोड़ रुपये) - पात्र नई औद्योगिक यूनिटों और पर्याप्त विस्तार कर रही यूनिटों को।
- भाग ख - स्कीम के लिए कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था (300 करोड़ रुपये)।

अब तक, इस स्कीम के तहत **108** औद्योगिक यूनिटों को पंजीकृत किया गया है।

अनुबंध-II

<u>"असम में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन" विषय पर लोक सभा में 23 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 554 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध</u>

असम में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं। ये स्कीमें इस प्रकार हैं:-

I. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. आशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)
8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
9. स्टार्ट अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
10. नमो ड्रोन दीदी

II. केंद्र प्रायोजित स्कीम

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ)

(ख) कृषोन्नति योजना

1. एकीकृत कृषि विपणन स्कीम - राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (आईएसएएम-ईएनएएम)
2. कृषि विपणन के लिए एकीकृत स्कीम - अन्य (आईएसएएम-अन्य)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
4. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ-ओएस)
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ताड़ तेल (एनएमईओ-ओपी)
6. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
8. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
9. डिजिटल कृषि

(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)

2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता
5. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि वानिकी
7. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) [फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) जिसका अब एसएमएएम में विलय हो गया है]
8. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

अनुबंध-III

"असम में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन" विषय पर लोक सभा में 23 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 554 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के गठन के बाद से मंत्रालय द्वारा असम में औद्योगिक विकास, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

क्र. सं.	क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
1	कृषि	27	164.14
2	उद्योग	48	113.5
3	पर्यटन	17	659.44
	कुल	**92**	**937.08**